न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

प्रार्थनापत्र संख्या :– 86/2018 दायर तारीख 28.05.2018

अनवान

01. प्रभुलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र 70 वर्ष निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयागांव (छोटा नयागांव) तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कन्हैयालाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेडा हाल मुकाम ब्रजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 21/08/2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा में आराजी न0 550 रकबा 4–13 बीघा भूमि स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी विपक्षी की आराजीयात से होकर स्वयं की आराजी पर पहुंचता है किन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया हैं। तथा निकलने पर लड़ाई झगडा एवं मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। मार्ग अवरूद्ध होने से प्रार्थी का अपनी आराजी पर काश्त करना सम्भव नही रहा हैं। प्रार्थी की ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा में आराजी न0 550 रकबा 4–13 बीघा भूमि पर आने जानेके लिये 12 फीट रास्ता जो कि आराजी नम्बर 554 व आराजी नम्बर 551 जो विपक्षीगण की खातेदारी की एकल स्वामित्व की हैं जो मुख्य सड़क से आराजी नम्बर 550 पर पहुचने के गाडी गडार के रास्ते में स्थित हैं। गाडी गडार का रास्ता मुख्य सड़क के दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 556 की पूर्वी मेर के सहारे दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 555 की पूर्वी मेर के सहारे दक्षिण दिशा में जाता हैं। उक्त रास्ता यहा तक विवाद रहित है। उसके पश्चात् प्रार्थी विपक्षी आराजी नम्बर 554 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर विपक्षी संख्या 1 की दक्षिणी मेर के सहारे पूर्द दिशा में आराजी नम्बर 551 की उतरी मेर तक पहुंचता हैं उसके पश्चात् प्रार्थी

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

विपक्षी संख्या 1 की आराजी न0 554 की दक्षिणी मेर व विपक्षी संख्या– 2 की आराजी न0 551 की उतरी मेर यानी आराजी न0 554 व 551 के मध्य मेर से पूर्व दिशा में स्थित प्रार्थी स्वयं की आराजी न0 550 पर पहुंचता है। आराजी न0 554 व 551 में स्थित रास्ते की मेर को विपक्षीगण ने हांक कर रास्ते को सकड़ा कर दिया है तथा आये दिन अवरोध उत्पन्न करते है जिससे गाडी गडार व ट्रेक्टर का रास्ता अवरूद्ध हो गया हैं। प्रार्थी आवेदक के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से करता आ रहा हैं। प्रार्थी आवेदक विपक्षीगण की आराजी नं0 554 की दक्षिणी मेर व आराजी न0 551 की उतरी मेर के सहारे 12 फीट चौडे रास्ते के बदले में तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार है। अतः पुराने रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखो में उक्त रास्ते को बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/1167 दिनांक 19.08.2019 में अंकित किया कि प्रार्थी के नाम नयागांव के आराजी नं0 550 रकबा 4–13 बीघा भूमि जो प्रभुलाल पिता होकमीचन्द धाकड सा0 माजी साहब का खेड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नं0 550 रकबा 4–13 बीघा भूमि में आने जाने के लिये आराजी नम्बर 554 के दक्षिणी मेर व आराजी नम्बर 551 की उतरी मेर के सहारे 12 फीट चौडे रास्ते की मांग की है।

ग्राम नयागांव की आराजी नं0 550 रकबा 4–13 बीघा भूमि प्रभुलाल पिता होकमीचन्द धाकड़ निवासी माजी साहब का खेड़ा के नाम दर्ज हैं। पूर्व में यह भूमि हमारे शामलाती खाते थी जिसके आराजी नं0 550, 551 है। आराजी नं0 550 मेरे हिस्से में आयी जबकि आ0न0 551 मेरे भाई के हिस्से में आने से आ0नं0 554 की दक्षिणी मेर से होते हुए मौके पर छोडे गये रास्ते से होकर NH-27 तक जाता है। आराजी नं0 550 भी (पूर्व में) होने से इसी रास्ते से होकर निकलते हैं जो सबसे सीधा हैं।

आराजी नं0 551 मेरे भाई की होने से रास्ता देने में सहमत है। आराजी नं0 554 के खातेदार मांगीलाल पिता नन्दा धाकड़ निवासी नयागांव ने उपस्थित होकर बताया कि आराजी नं0 551 के खातेदार पूर्व में भी मेरे खेत में से होकर निकलते आये है। इसलिए 551 के खातेदार को निकलने में कोई परेशानी नही है। आराजी नं0 550 के खातेदार पूर्व में से होकर नहीं निकलते थें इसलिए आराजी नं0 550 का रास्ता हमारे खेत में नही हैं।

मौका अनुसार आराजी नं0 554 व 555 की मध्य मेड से होते हुये 556/1, 556/2 की पूर्वी मेडके सहारे होकर फोरलेन (NH-27) तक रास्ता सड़क पर मिलता है। जो रेकॉर्ड में दर्ज नही है। मौके पर उक्त आराजी नम्बरों में खातेदारो में रास्ता छोड़कर पत्थर की कोट लगा रखी हैं जो रास्ता चालू हैं। जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

ग्राम नयागांव के आराजी न0 556/1, 556/2 सुगनलाल पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी कल्याणपुरा के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आराजी नं0 550 में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं हैं।

आराजी नम्बर 554 की दक्षिणी मेड पर 2 गट्ठा चौड़ा व 40 गट्ठा लम्बा यानि 0–04 बीघा भूमि की रास्ते के लिये आवश्यक होने से वर्तमान डी0एल0सी0 दर 791357/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की कीमत 158272/– रूपयें का दुगुना से 316544/– रूपये राशि बनती हैं।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि पर पहुंचने के लिये रास्ता नही हैं। ऐसी सूरत में विपक्षी की आराजी नम्बर 554 के दक्षिणी मेर पर से रास्ता प्रदान किया जावें। अधिवक्ता विपक्षी ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आ0 नं0 556/1, 556/2 को पक्षकार नही बनाया गया हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। इस पर वकील प्रार्थी ने बताया कि हमे विपक्षी द्वारा बताये गये पक्षकारो से कोई अनुतोष प्राप्त नही करना हैं। तथा यहां हमारा रास्ता बाधित भी नहीं हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम नयागांव की आराजी नं0 550 रकबा 4–13 बीघा भूमि में आने जाने के लिये विपक्षी की आराजी नम्बर 554 के दक्षिणी मेर पर 2 गट्ठा चौड़ा व 40 गट्ठा लम्बा यानि 0–04 बीघा भूमि की रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर 791357/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की मालियत 158272/– रूपयें का दुगुना से 316544/– रूपये राशि बनती हैं। बतौर मुहावजा को भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक **21/08/2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

Scanned by CamScanner